# मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शपथ–पत्र
## (आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और यह अनिवार्य है)

## मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा घोषणा की जानी है।

मैं..............................................................., पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..............................................................
निवासी गांव.........................................................पोस्ट...........................ब्लॉक/तहसील..........................................
जिला.......................................................राज्य.................................यह घोषणा करता/करती हूं कि:

1. मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विस्तार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों तथा नियम एवं शर्तों, विशेष रूप से उद्योग/सेवा/व्यवसाय के स्वरूप, परियोजना में निवेश, स्वयं के योगदान आदि के बारे में निर्धारित मानदण्डों को पढ़ और समझ लिया है।
2. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए राज्य स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय नोडल एजेंसी है और यह योजना जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (DIC) के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।
3. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है।
4. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मेरा आवेदन सूक्ष्म जांच (Scrutiny) तथा संक्षिप्त सूची बनाने (Shortlisting) के लिए जिला कार्य दल समिति (DTFC) को भेजा जाएगा। मैं यह भी जानता/जानती हूं कि चुने हुए आवेदकों को प्रस्तावित प्रोजैक्ट के विषय में उनकी जानकारी, योग्यता, रूचि, कौशल, एवं उद्यमशीलता क्षमता, बाजार उपलब्धता, चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता का आंकलन एवं परियोजना की स्वीकृति हेतु बैंक को केवल सराहनीय चुने हुए आवेदकों की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथम रूप में जिला कार्यदल समिति द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
5. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि प्रोजैक्ट की व्यवहार्यता (Viability) पर आधारित प्रोजैक्ट को मंजूरी देने का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जिला कार्यदल समिति को है।
6. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य है। 'परिवार' में स्वयं और पति या पत्नी शामिल हैं।

7. मैं पूरी तरह से जानता/जानती हूं कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा "एक मुश्त सहायता" है। क्रेडिट सीमा में किसी भी वृद्धि या प्रोजेक्ट के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध नहीं है।

8. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि एकबार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी जारी हो जाता है, तो इसे लाभार्थी/संस्था के नाम से वित्त पोषक बैंक शाखा स्तर पर तीन वर्ष के सावधि जमा रसीद (TDR) में रखा जायेगा TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और TDR की समतुल्य ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा।

9. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि यद्यपि मार्जिन मनी बैंक के निर्दिष्ट नोडल ब्रांच द्वारा जारी होगी, फिर भी योजना के मापदण्डों पर आधारित दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार योजना को प्रायोजित करने वाली नोडल एजेन्सी को है।

10. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विचाराधीन प्रोजैक्ट के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया है।

11. यह भी प्रमाणित किया जता है कि आवेदन में दिए गए पते पर प्रस्तावित इकाई एक नयी इकाई है और मैं इस इकाई का एकमात्र स्वामी हूं।

12. मैं निर्धारित समय के अन्दर आवश्यक ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण में भाग लेने की शर्त से सहमत हूं और मानता हूं।

13. मैं अपने/हमारे प्रोजैक्ट साइट के मुख्य प्रवेश द्वारा पर निम्नलिखित साइन–बोर्ड को प्रदर्शित करने हेतु सहमत हूं:–

| |
|---|
| ........................................................................................................(इकाई का नाम) |
| मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्र,.............................................. |
| द्वारा प्रायोजित ..........................................................(बैंक) द्वारा वित्त पोषित |

14. मैं योजना दिशा–निर्देशों/मानकों इत्यादि के पूरा नहीं होने की स्थिति में मार्जिन मनी का हिस्सा/पूरी धनराशि वापस करने के लिए सहमत हूं।

15. मैं सहमत हूं कि यदि जिस किसी भी कारण से मार्जिन मनी का दावा करने हेतु इकाई अयोग्य पायी जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या मेरे पक्ष में स्वीकृत मार्जिन मनी को वापस मंगाने का अंतिम अधिकार है और उस स्थिति में, मैं जिला उद्योग केन्द्र को मेरे प्रोजैक्ट पर प्राप्त पूरा/आंशिक मार्जिन मनी वापस करूंगा/करूगी।

16. मैं इकाई का भौतिक सत्यापन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत जिला उद्योग केन्द्र, वित्त पोषक बैंक के अधिकारियों को अनुमति देने के लिए सहमत हूं और उन्हें मेरी इकाई के

विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी तथा बही खातों सहित आवश्यक दस्तावेज दिखाउंगा/दिखाउंगी।

17. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि प्रोजैक्ट से सम्बन्धित किसी भी मामले पर जिला उद्योग केन्द्र के विरूद्ध कोई भी कानूनी सहारा लेने के लिए सिर्फ राज्य न्यायालयों के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।

18. यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के गुप्त मकसद के साथ बनाया गया है, तो जिला उद्योग केन्द्र मुझ पर मुकदमा चलाने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने, जैसा उपयुक्त समझा जाए, के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक:....................................... (लाभार्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:......................................... (नाम एवं पता)